को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 7/14/93-बी. ओ.—I]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th October, 1993

S.O. 2219.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 read with sub section (2) of Section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby appoints Shri Ashim Chatterjee, IAS (RJ : 60), presently, Adviser, Planning Commission as a Member of the Board for Industrials and Financial Reconstruction for a period of five years from the date of his taking charge.

[No. 7/14/93-B.O.-I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

बीमा-प्रभाग

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2220.—केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1985 के नियम 13 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करती है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल, 1992 को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बोनस के बदले में संदाय उक्त उपनियम में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके संवलन के 15 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा।

[फा. सं. 2 (8)/ बीमा-3/ 91]

सुरेश आनन्द, सहायक बीमा नियंत्रक

INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 8th October, 1993

S.O. 2220.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, the Central Government hereby determine that, subject to the other provisions of the said sub-rule, the payment in lieu of bonus for the period commencing on the 1st day of April, 1992 and ending with the 31st day of March, 1993 to every Class III and Class IV employee shall be at the rate of 15 per cent of his salary.

[F. No. 2(8)/Ins. III/91]

S. ANAND, Assit. Controller of Insurance

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली 4 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2221.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को कच्चा मांस (हिमशीतित/द्रुतशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 में अधिपूर्वित शर्तों के अधीन दिओनार एबोटर से उत्पन्न कच्चा मांस (हिमशीतित/द्रुतशीतित) का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में कच्चा मांस (हिमशीतित/द्रुतशीतित) से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(भैंस,शावी कटरों/बछड़े का मांस चार माह से लेकर एक वर्ष तक की आयु के भैंस के कटरों से प्राप्त मांस के द्रुतशीतित/हिमशीतित) द्वारा प्रसंस्कृत तथा कीमा मांस और

(ii) भारतीय बकरा तथा भेड़ कच्चा द्रुतशीतित/हिमशीतित मांस तथा बकरे भेड़ का कीमा मांस और बकरे तथा भेड़ से प्राप्त द्रुतशीतित/हिमशीतित द्वारा प्रसंस्कृत.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फाईल सं. 6/1/92-ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th October, 1993

S.O. 2221.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Bombay Municipal Corporation as an agency for inspection of Raw Meat (Chilled/Frozen) originating from Deonar abbatoir prior to export subject to the conditions notified in the Export of Raw Meat (Frozen/Chilled) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992.

Explanation : In this notification Raw Meat (Chilled/Frozen) means :—

(i) Meat and minced meat processed by chilling/quick freezing obtained from Buffalo, Carcasses, veal/Calf meat obtained from buffalo calves of above four months and upto one year of age ; and

(ii) Indian goat and sheep raw chilled/frozen meat and minced meat of goat, sheep and processed by chilling/quick freezing obtained from goat and sheep.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6/1/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1993

का. आ. 2222.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2301 तारीख 12 अगस्त 1991 के भारत के राजपत्र भाग खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 सितम्बर, 1991 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में या ऐसी भूमि पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कम्पनी